पत्र संख्या–6 एस०एस०(6)67 / 2026–3952/

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक– 27/07 / 2026.

XX
अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

XX

द्वारा :– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :– **Foot and Mouth Disease (FMD) टीकाकरण की National Digital Livestock Management (NDLM) Portal पर त्वरित डाटा इन्ट्री के लिए निजी टीकाकर्मियों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने के निमित्त वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य स्कीम अन्तर्गत "पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य की योजना" के तहत कुल रुपये 422.00 लाख (चार करोड़ बाईस लाख) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त Foot and Mouth Disease (FMD) टीकाकरण की National Digital Livestock Management (NDLM) Portal पर त्वरित डाटा इन्ट्री के लिए निजी टीकाकर्मियों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने के निमित्त वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य स्कीम अन्तर्गत "पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य की योजना" के तहत कुल रुपये 422.00 लाख (चार करोड़ बाईस लाख) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी–"क", "ख" एवं "ग" के रूप में संलग्न है।

2. बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्वपूर्ण योगदान है। Foot and Mouth Disease (FMD) पशुओं में होने वाली एक संक्रामक बीमारी है, जिससे प्रभावित पशुओं के दुग्ध उत्पादन में कमी हो जाती है तथा पशुओं की मृत्यु भी होती है। इससे पशुपालकों को आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है। पशुपालकों के हित को ध्यान में रखते निःशुल्क FMD टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

3. वर्तमान में FMD टीकाकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन शत–प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना–National Animal Disease Control Programme for Foot and Mouth Disease के तहत किया जा रहा है।

4. FMD टीकाकरण कार्यक्रम के तहत किये गये टीकाकरण की प्रविष्टि National Digital Livestock Management (NDLM) Portal पर की जाती है। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में टीकाकरण कार्य की प्रविष्टि NDLM Portal पर होने के उपरान्त ही टीकाकर्मियों के मानदेय भुगतान का प्रावधान है। FMD टीकाकरण एवं टीकाकरण की NDLM Portal पर डाटा इन्ट्री हेतु भारत सरकार के द्वारा टीकाकर्मियों के मानदेय के रूप में रुपये 5/– (पाँच रुपये) मात्र प्रति टीकाकरण एवं डाटा इन्ट्री की दर से भुगतान किये जाने का प्रावधान है। टीकाकरण कार्य के सम्यक् अनुश्रवण एवं टीकाकर्मियों के मानदेय भुगतान के दृष्टिकोण से NDLM Portal पर FMD टीकाकरण की शत–प्रतिशत इन्ट्री सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। वर्तमान समय में निजी टीकाकर्मियों द्वारा टीकाकरण कार्य किये जाने के पश्चात् NDLM Portal पर डाटा इन्ट्री किया जा रहा है, जिसमें कभी–कभी अत्यधिक विलम्ब होता है। इसके फलस्वरूप वास्तविक टीकाकरण की संख्या एवं NDLM Portal पर प्रदर्शित टीकाकरण की संख्या में बहुत अधिक अन्तर परिलक्षित होता है।

5. टीकाकरण एवं डाटा इन्ट्री में अधिक अवधि का अन्तर होने से डाटा में त्रुटि की संभावना बनी रहती है। अतः टीकाकरण के साथ–साथ डाटा इन्ट्री कार्य को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। इस हेतु टीकाकरण के साथ–साथ NDLM Portal पर डाटा इन्ट्री की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु टीकाकर्मियों को टीकाकरण हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त राज्य योजना से प्रोत्साहन राशि भी प्रदान किये जाने हेतु निम्नांकित व्यवस्था प्रस्तावित है :–

टीकाकरण के दिन NDLM Portal पर डाटा अपलोड किये जाने पर	मानदेय रु० 5.00 प्रति टीकाकरण + 1.00 रु० प्रति टीकाकरण प्रोत्साहन राशि
टीकाकरण के तीन दिनों के अन्दर NDLM Portal पर डाटा अपलोड किये जाने पर	मानदेय रु० 5.00 प्रति टीकाकरण + 0.50 रु० प्रति टीकाकरण प्रोत्साहन राशि
टीकाकरण के तीन दिनों के पश्चात् NDLM Portal पर डाटा अपलोड किये जाने पर	मानदेय रु० 5.00 प्रति टीकाकरण (कोई प्रोत्साहन राशि नहीं)

6. वर्तमान में बिहार राज्य में प्रत्येक वर्ष 2 (दो) चरणों में FMD टीकाकरण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। प्रत्येक चरण में लगभग 211 लाख पशु टीकाकरण के लक्ष्य के अनुसार 2 (दो) चरणों में कुल 422 लाख पशुओं का FMD टीकाकरण किया जाता है। इस प्रकार दोनों चरणों के लिए प्रति टीकाकरण रुपये 1.00 (एक रुपये) मात्र प्रोत्साहन राशि के आधार पर अधिकतम रुपये 422.00 लाख (चार करोड़ बाईस लाख) मात्र का व्यय अनुमानित है।

7. प्रस्तावित योजना के कार्यान्वयन हेतु डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार की सहमति से पशुपालन निदेशालय के द्वारा दिशा–निदेश निर्गत किया जायेगा।

8. वित्तीय वर्ष 2026–27 में इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु राज्य स्कीम अन्तर्गत "पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य योजना" के तहत अतिरिक्त योजना उद्व्यय प्राप्त करते हुए अनुपूरक आगणन के माध्यम से बजट उपबंध कर योजना कार्यान्वयन पर व्यय किया जायेगा। प्रस्तावित योजना के तहत व्यय को बजट उपबंध के अधीन सीमित रखा जायेगा।

9. इस योजना के तहत प्रस्तावित व्यय का विकलन निम्नांकित बजट शीर्षों के तहत 2802 संविदा सेवायें विषय शीर्ष में उपबंधित राशि से किया जायेगा:–

    (i) बजट मुख्य शीर्ष–2403 –पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–101 – पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य, मांग सं०–02, उप शीर्ष–0101 –अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्र कोड 02–2403001010101 (व्यय विवरणी–क संलग्न).

    (ii) बजट मुख्य शीर्ष–2403 –पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789 –अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग सं०–02, उप शीर्ष–0111 –अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्र कोड 02–2403007890111 (व्यय विवरणी–ख संलग्न).

    (iii) बजट मुख्य शीर्ष–2403 –पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796 –जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मांग सं०–02, उप शीर्ष–0130 –अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्र कोड 02–2403007960130 (व्यय विवरणी–ग संलग्न).

बजट की उपलब्धता :– वित्तीय वर्ष 2026–27 में इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु राज्य स्कीम अन्तर्गत ''पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य योजना के तहत अतिरिक्त योजना उद्व्यय प्राप्त करते हुए अनुपूरक आगणन के माध्यम से बजट उपबंध कर योजना कार्यान्वयन पर व्यय किया जायेगा। प्रस्तावित योजना के तहत व्यय को बजट उपबंध के अधीन सीमित रखा जायेगा।

130

10. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, पशुपालन, बिहार/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार होंगे।

11. दिनांक–17.06.2026 को सम्पन्न स्थायी वित्त समिति की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी है। कार्यवाही संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)67/2026 के पृष्ठ 10–09/प०.

12. दिनांक–08.07.2026 को संपन्न स्कीम स्क्रीनिंग समिति की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)67/2026 के पृष्ठ 24–23/प०.

13. यह स्कीम एक नयी राज्य स्कीम है। स्कीम का लागत मूल्य 5.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888, दिनांक–03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में इस स्कीम स्वीकृति के प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका सं०–6 एस०एस०(6)67/2026 के पृष्ठ–13/टि० एवं दिनांक–17.07.2026.

14. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)67/2026 के पृष्ठ–13/टि० एवं डायरी संख्या–474, दिनांक–15.07.2026.

15. वित्त विभागीय पत्रांक–7355, दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,

27/7

(कुमार रवीन्द्र)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)67/2026– 3952 /पटना–15, दिनांक– 27 / 07 /2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/7

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)67/2026– 3952 /पटना–15, दिनांक– 27 / 07 /2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी जिला कोषागार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/7

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)67/2026– 3952/पटना–15, दिनांक– 27/07 /2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/7

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)67/2026–3952 /पटना–15, दिनांक– 27 / 07 /2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ पशुपालन निदेशालय के बजट शाखा/लेखा शाखा/योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/7

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)67/2026– 3952 /पटना–15, दिनांक– 27 / 07 /2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ महालेखापरीक्षा नियंत्रक, कार्यालय महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/7

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)67/2026– 3952 /पटना–15, दिनांक– 27 / 07 /2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभाग के सभी पदाधिकारी/विभागीय योजना शाखा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त 05 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/7

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)67/2026–3952 /पटना–15, दिनांक– 27 / 07 /2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/7

सरकार के संयुक्त सचिव

128

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)67/2026–   /पटना–15, दिनांक–   /   /2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/1/3

सरकार के संयुक्त सचिव

6 Typed by Sanjay Kumar

<u>**व्यय विवरणी–"क"**</u>

वित्तीय वर्ष 2026–27 में "राज्य स्कीम" अन्तर्गत "पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य योजना" के तहत Foot and Mouth Disease (FMD) टीकाकरण की National Digital Livestock Management (NDLM) Portal पर त्वरित डाटा इन्ट्री के लिए निजी टीकाकर्मियों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने की योजना पर होने वाले व्यय की मदवार व्यय विवरणी:–

सामान्य घटक (02–2403001010101)

(राशि लाख रुपये में)

क्र०सं०	विषय शीर्ष	प्रस्तावित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	0101.2802 –संविदा सेवाएँ	295.40	निदेशक पशुपालन, बिहार, पटना/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार।	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ सभी जिला कोषागार, बिहार।
	कुल योग :–	**295.40**		

कुल (रुपये दो करोड़ पन्चानवे लाख चालीस हजार) मात्र।

3952
27/07/26

सरकार के संयुक्त सचिव

7 Typed by Sanjay Kumar

126

व्यय विवरणी–"ख"

वित्तीय वर्ष 2026–27 में "राज्य स्कीम" अन्तर्गत "पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य योजना" के तहत Foot and Mouth Disease (FMD) टीकाकरण की National Digital Livestock Management (NDLM) Portal पर त्वरित डाटा इन्ट्री के लिए निजी टीकाकर्मियों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने की योजना पर होने वाले व्यय की मदवार व्यय विवरणीः–

अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक (02–2403007890111)

(राशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	विषय शीर्ष	प्रस्तावित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	0111.2802 –संविदा सेवाएँ	84.40	निदेशक पशुपालन, बिहार, पटना / सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार।	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना / सभी जिला कोषागार, बिहार।
	कुल योग :–	**84.40**		

कुल (रुपये चौरासी लाख चालीस हजार) मात्र

3952
27/07/26

2/7/

सरकार के संयुक्त सचिव

 Typed by Sanjay Kumar

25

व्यय विवरणी–"ग"

वित्तीय वर्ष 2026–27 में "राज्य स्कीम" अन्तर्गत "पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य योजना" के तहत Foot and Mouth Disease (FMD) टीकाकरण की National Digital Livestock Management (NDLM) Portal पर त्वरित डाटा इन्ट्री के लिए निजी टीकाकर्मियों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने की योजना पर होने वाले व्यय की मदवार व्यय विवरणी:–

जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (02–2403007960130)

(राशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	विषय शीर्ष	प्रस्तावित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	0130.2802 –संविदा सेवाएँ	42.20	निदेशक पशुपालन, बिहार, पटना/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार।	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी जिला कोषागार, बिहार।
कुल योग :–		**42.20**		

(रुपये बयालिस लाख बीस हजार मात्र)

व्यय का सारांश		
क्र०सं०	**व्यय विवरणी**	**राशि (लाख रुपये में)**
1	व्यय विवरणी–क	295.40
2	व्यय विवरणी–ख	84.40
3	व्यय विवरणी–ग	42.20
	कुल योग :–	**422.00**

कुल (रुपये चार करोड़ बाईस लाख) मात्र।

2/7

सरकार के संयुक्त सचिव

3952
27/7/26

 Typed by Sanjay Kumar